'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.01.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 5 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 जनवरी, 2018

दिल्ली एवं मुंबई में मनाया गया डॉ. उदित राज का जन्म दिवस

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली, का जन्म दिवस 'जस्टिस डे' के रूप में 26 जनवरी, 2018 को शक्ति टेंट, जापानी पार्क, दिल्ली में 27 जनवरी, 2018 को होटेल सी प्रिंसेज, जूहू, मुंबई में एवं 30 जनवरी, 2018 को डॉ. उदित राज के निवास टी-5, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली पर मनाया गया। डॉ. उदित राज जी बचपन से ही न्यायप्रिय रहे हैं और इसी उनकी भावना से प्रभावित होकर कार्यकर्त्ताओं ने दशकों पहले उनका जन्मदिवस जस्टिस डे के रूप में मनाना शुरू किया था। इसी श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी डॉ. उदित राज जी का जन्मदिन विभिन्न स्थानों पर हर्षोल्लास से 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया गया।

26 जनवरी को लोक सभा क्षेत्र में जन्मदिवस के अवसर पर क्षेत्रवासियों के साथ डॉ. उदित राज पत्नी श्रीमती सीमा राज के साथ

26 जनवरी, 2018 को डॉ. उदित राज जी का जन्मदिवस शक्ति टेंट, जापानी पार्क, नई दिल्ली पर मनाया गया। इस अवसर पर पूरे उत्तर पश्चिम लोक सभा क्षेत्र के भाजपा के पदाधिकारी व हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्त्ता व शुभचिंतक पहुंचे। इस अवसर पर परिसंघ की दिल्ली इकाई से भी हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता पहुंचे।

27 जनवरी को होटेल सी प्रिंसेज, मुंबई में डॉ. उदित राज जी के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, देवेन्द्र फडणवीस, बिजनेस एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीआईएसबी के मैनेजिंग डायरेक्टर, के.एन. पिंपले, फिल्म अभिनेत्री व गायिका - सलमा आगा और समाज सेवी राजीव वर्मा पहुंचे। इसके अलावा HE Lesego Ethel Motsumi High Commissioner of Botswana, भाजपा विधायक गया।

उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य एवं रिपब्लिकन फिल्मस एंड टी.वी. एसोसिएशन (रफटा) के जनरल सेक्रेटरी कैलाश मासूम द्वारा किया गया।

27 जनवरी को मुंबई में डॉ. उदित राज जी को जन्मदिन की शुभकामनायें देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, कैलाश मासूम, विकास गुप्ता व अन्य गण

30 नवंबर, 2018 को जन्मदिवस के अवसर पर डॉ. उदित राज का जन्मदिन उनके निवास टी-5, अतुल ग्रोव रोड नई दिल्ली पर मनाया गया, जहां पर उन्हें शभकामनाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री रामलाल जी के अलावा केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी, डॉ. हर्षवर्धन, सांसद एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, सांसद - महेश गिरि, प्रवेश वर्मा सहित विभिन्न देशों के एम्बेसडर व अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचे।

30 जनवरी को अपने निवास पर डॉ. उदित राज जी अपने परिवार के साथ

डॉ. लवेकर भारती, सूफी गायिका कल्पना पटवारी, लेखक संजय मासूम, टी.वी. ऐक्टर अभिषेक निगम, विकास गुप्ता, प्रियंका शर्मा, मुकेश गौतम, राजू कारिया, मनोज लालवानी, जेबा खान, पद्मश्री, कल्पना सरोज, संगीतकार अन्नू मलिक, राजू मनवानी आदि भी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। उपरोक्त सभी लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्पकृष्ट कार्य करने के लिए 'ग्रेट इंडियन अवार्ड' से सम्मानित किया

***

ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र

तेजपाल सिंह तेज

केरल में दलित कार्यकर्ताओं और पुजारी बनाए गए दलितों पर प्राणघातक हमलों की खबरें अब आम हो गई है। यह भी खबर है कि ताजा घटना में एक दलित पुजारी पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है। केरल के पलक्कड़ में एक दलित पुजारी बीजू नारायण पर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें पुजारी बुरी तरह से घायल हो गया। ये दलित पुजारी पटेललंबी का रहना वाला बताया गया है। बताया जा रहा है कि बिजू नारायणन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड से वेदों का अध्ययन करने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति है। यानी कि वो जाति से तो दलित हैं लेकिन व्यवहार से केवल और केवल ब्राह्मणवादी ही है। यहां कहना अतिश्योक्ति न होगा कि उन्होंने वेदों का अध्ययन तो किया किंतु ब्राह्मणवाद की हकीकत को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां सवाल उठता हैं कि बिजू नारायण को दलित कैसे माना जाए।

हाल ही में कन्नूर जिले में मट्टन्नुर के समीप नेल्लुनी में माकपा कार्यकर्ताओं के हमले में आरएसएस का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था। किंतु अफसोस जब एक दलित पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया तो इसका किसी भी स्तर पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। होता भी कैसे, जो लोग अपने ही घरवालों के विरोध में काम करते है, उनका समर्थक हो भी कौन सकता है। मैं समझता हूं कि केरल में दलित पुजारियों की नियुक्ति जातिगत भेदभाव के खिलाफ पक्की जाति नहीं बन सकती। माना कि अहम शुरुवात है। किंतु सामाजिक आधार पर एक दलित के साथ यह किसी साजिश का हिस्सा ही लगता है। केरल सरकार द्वारा संचालित मंदिरों में आरक्षण के आधार पर पुजारियों की भर्ती एक बड़ी लड़ाई थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की संपादीकय टिप्पणी के अबुसार हाल ही में त्रावणकोर देवास्वोम भर्ती बोर्ड (टीडीआरबी) ने 36 गैर ब्राह्मणों को पुजारी के पद पर चुना है। केरल में यह अपनी तरह का पहला उदाहरण है और यह इस मायने में भी खास है कि इन 36 लोगों में छह दलित समुदाय से आते है। केरल के ही नहीं देश के सभी धार्मिक स्थलों पर जातिगत पूर्वाग्रह-दुराग्रह का लंबा इतिहास रहा है और इसके खिलाफ लम्बा संघर्ष भी चला है, हालांकि राज्य में गैर-ब्राह्मण भी पुजारी बनते रहे हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर को छोटे-मोटे मठ-मंदिरों या निजी धार्मिक स्थलों में पूजा-पाठ की जिम्मेदारी ही मिलती है, पैसा कमाने वाले मंदिरों में नहीं। सुना है कि टीडीआरबी पुजारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इसमें सभी जाति के लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब भर्ती में जातिगत आरक्षण लागू किया गया है।

ज्ञात हो कि केरल में मौजूदा देवास्वोम बोर्ड सरकार द्वारा संचालित मंदिरों का प्रबंधन संभालते हैं। यह पहले भी गैर-ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करते रहे हैं, लेकिन इनकी भर्ती में जब जातिगत आरक्षण लागू नहीं था। यह एक तरह की अनियमिता ही थी, क्योंकि इन बोर्डों का खर्चा सरकारी खजाने से पूरा होता है। सरकारी वित्त से चलने वाले सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू है तो मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति में भी यह व्यवस्था लागू होनी ही चाहिए। यह मसला अलग-अलग मंचो से बार-बार केरल में उठता रहा है। यद्यपि यह मांग जाति-प्रथा के उन्मूलन की दिशा में नहीं मानी जा सकती, तथापि ब्राह्मणवाद को जिन्दा रखने की एक सोची-समझी कवायद ही मानी जाएगी।

केरल में मौजूद देवास्वोम बोर्ड सरकार द्वारा संचालित मंदिरों का प्रबंधन संभालते हैं, ये पहले भी गैर-ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करते रहे हैं, लेकिन इनकी भर्ती में तब जातिगत आरक्षण लागू नहीं था। यह एक तरह की अनियमितता ही थी, क्योंकि इन बोर्डों का खर्चा सरकारी खजाने से पूरा होता है।

उल्लिखित है कि केरल में ऐसी नियुक्तियों के बाद भी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। केरल के बड़े और ज्यादा प्रतिष्ठित मंदिरों जैसे सबरीमाला में अपनी कुछ परंपराएं और लिखित मान्यताएं हैं, जिनके तहत गैर-ब्राह्मण यहां पूजा-पाठ के काम में हिस्सा नहीं ले सकते, तो अब बड़ी लड़ाई यही है कि नव-नियुक्त पुजारियों को ऐसे मंदिरों में भी काम करने का मौका मिल भी जाये तो क्या जातिवाद का खात्मा हो जाएगा ?

दूसरी चुनौती यह भी है कि पूजा-पाठ की परंपराओं में जातिगत दुराग्रह तोड़ने के मामले में सरकार के निर्देश या कानूनी प्रावधान हमेशा कारगर नहीं होते। केरल का अपना इतिहास भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। यहां मनुस्मृति और दूसरी पुरानी मान्यताओं के हवाले से हिंदू समाज में मौजूद इस भेदभाव को खत्म करने के लिए जन-आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई है। निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए यहां 1924 में वाइकोम सत्याग्रह और 1931-32 में गुरुवायूर सत्याग्रह जैसे प्रभावशाली आंदोलन के खिलाफ एक सांकेतिक आन्दोलन था। मंदिरों में प्रवेश करना नहीं था।

किंतु मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आज का दलित समाज मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने की मांग कतई नहीं करता, अब तो केवल ब्राह्मणवादी ताकतें गरीब और निरीह लोगों को जानबूझ कर मंदिरों तक ले जाना चाहते है। कारण है कि देश का अधिकतर दलित बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी है और किसी प्रकार की भी हिन्दूवादी सोच से निजात पाना चाहता है। विदित है कि आज केरल में वामपंथियों/ मार्क्सवादियों की सरकार है। यह भी कि आज मार्क्स और अम्बेडकर की विचारधारा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगी माना जा रहा है।

मार्क्यवादियों को भारतीय दलितों का अम्बेडकरवादी होना खलने लगा है। जब कि अम्बेडकरवादियों की सोच है कि आज की तारीख में यदि मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सामाजिक न्याय की दिशा में नए आयाम खड़े हो जाएंगे। किन्तु केरल में दलितों को पुजारी बनाने की मुहिम ये सिद्ध करती है कि केरल के दलितों को अम्बेडकरवादी सोच से अलग-थलग करना है। केरल सरकार की इस पहल से तो यही लगता है कि भारत में जाति-प्रथा बरकरार रहे और मार्क्सवादी मजदूर शान्ति के नाम पर अपनी रोटियां सेंकते रहें। भुलावा यह दिया जा रहा है कि मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया है..... किन्तु यह एक छल के अलावा और कुछ नहीं लगता।

दरअसल केरल सरकार का मत है कि यदि किसी दलित को मंदिर में पुजारी बना दिया जाए तो दलितों का एक बड़ा वर्ग मंदिरों में आना-जाना शुरु कर देगा और इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर का बुध्द धम्म को अपनाने का विषय ठंडा ही नहीं, दूर की कौड़ी हो जाएगा। इससे मार्क्सवाद को और देर तक जिन्दा रहने का मौका मिल जाएगा।

द हिन्दू के तिरुवनंतपुरम के सीनियर एसोसिएट एडिटर सी.जी. गौरीदासन कहते हैं, सामाजिक रूप से इससे विवाद होना तय है। राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि तथ्य यह है कि बीजेपी निम्न और मध्यम समुदायों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी है। हो न हो यह केरल की सीपीएम सरकार का एक राजनीतिक पैंतरा है। वह इसलिए कि आरएसएस वहां हिन्दुओं को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में जाहिर है कि सी.पी.एम निश्चित रूप से दलित और पिछड़े समुदाय के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी ही।

– दलित दस्तक से साभार

***

भंसाली जी! औरतें चलती फिरती योनियां नहीं हैं : स्वरा भास्कर

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भंसाली के नाम खुला खत। मूल खत काफी लम्बा और अंग्रेजी में है, इसके कुछ जरूरी हिस्से अनुवाद कर रहा हूँ, बाकी का आपको नेट पे मिल जायेगा।

प्रिय भंसाली जी

सबसे पहले बधाई कि आप अपनी मशहूर फिल्म रिलीज कर सके। आई कम पद्मावती, कम दीपिका पादुकोण की सुंदर कमर, कम आपकी फिल्म के 70 शॉट्स। लेकिन सबके सिर अब भी कंधों पे हैं और नाक भी सलामत है। फिर भी आप फिल्म रिलीज करा सके, बधाई। आज के स्टॉलरेंट -सहिष्णु भारत में जहाँ लोग मीट के लिए मारे जा रहे हैं, मर्दाने गर्व की आदिम सोच का बदला लेने के लिए बच्चों पर हमले हो रहे हैं, आपका फिल्म रिलीज कर पाना वाकई सराहनीय है, बधाई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी फिल्म जब पद्मावती ही कहलाती थी, तब भी मैं उसके लिए लड़ी थी, हालांकि किसी युद्ध के मैदान में नहीं ट्विटर पर। मेरे पीछे मुस्लिम्स के पीछे पागल ट्रोल्स पड़े फिर भी मैं लड़ी। मैंने टीवी कैमरा पर वो बातें भी कहीं जो मुझे लगा 185 करोड़ फंसे होने के कारण आप नहीं बोल पाये होंगे। जो मैंने कहा उस पर मेरा पक्का यकीन है कि आप या किसी और को भी बिना सेट पर आग लगे, बिना मार खाये, बिना हाथ पैर तुड़वाये और बिना जिन्दगी गंवाये, जितना वो जरूरी समझे हीरोइन का पेट दिखाते हुए, अपनी कहानी अपने ढंग से कहने का पूरा हक है। लोग सामान्यतः फिल्में बना सकें , रिलीज भी कर सकें और बच्चे भी सुरक्षित स्कूल जा सकें।

मैंने सच में चाहा कि आपकी फिल्म बड़ी हिट हो, बॉक्स ऑफिस के रिकार्ड्स तोड़ दे। शायद आपकी फिल्म से इसी लगाव के चलते, उसे देखने के बाद मैं अवाक हो गयी हूँ, और ये कहना पड़ रहा है सर! कि ' रेप होने के बाद भी औरत को जीने का हक होता है। औरत को उसके पति, उसके रक्षक, उसके मालिक, उसकी सेक्सुअलिटी के कंट्रोलर जो कुछ भी आप मर्द को कहें, के बगैर जीने का हक है। मर्द के जिन्दा होने न होने से औरत को जीने का हक है। ये बेसिक बातें हैं, इन्हीं में थोड़ी और भी हैं। औरतें चलती फिरती वैजाइना नहीं हैं। हाँ उनके पास वैजाइना है, पर वे उससे ज्यादा भी कुछ हैं। इसलिए उनकी पूरी जिन्दगी वैजाइना और वैजाइना को कंट्रोल करने, उसकी रक्षा करने, उसकी शुद्धता बचाने पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। (13 वीं शताब्दी में ऐसा था भी तो 21वीं सदी में हमें इन टुच्चे विचारों का महिमामंडन करने की जरूरत नहीं है।

बेहतर होता कि योनियों को सम्मान दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं। एक औरत किसी के द्वारा अपनी मर्जी के बिल योनि के असम्मान के बावजूद जी सकती है। क्योंकि योनि के बाहर भी जिन्दगी है, इसलिए रेप के बाद भी जिन्दगी हो सकती है। और सामान्यतः जिन्दगी योनि से ज्यादा कुछ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये योनि के बारे में में ही क्यों बोलती जा रही हूँ ? क्योंकि सर! आपकी मशहूर फिल्म देख के मैंने यही महसूस किया। मैंने योनि ही महसूस की। मुझे महसूस किया कि मुझे महज वैजाइना तक सीमित कर दिया गया है। मैंने महसूस किया कि जैसे वोट का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व अवकाश, विशाखा जजमेंट, बच्चा गोद लेने का हक जो भी छोटा मोटा महिलाओं के आंदोलन ने हासिल किया है, वो सब बेकार है, क्योंकि हम लौट तो वापस बेसिक्स (रूढ़ पहचानों) पर रहे हैं। सती और जौहर महिमामंडन के लायक प्रथाएं नहीं हैं। आपकी फिल्म रिलीज के एक हफ्ते पहले जींद हरियाणा में के 15 साल की दलित लड़की का ब्रुटल गैंग रेप हुआ है। आप जानते ही होंगे कि सती और रेप दोनों एक ही माइंडसेट का नतीजा हैं। एक रेपिस्ट स्त्री के जननांग पर अटैक करता है, अतिक्रमण करता है, जबरन प्रवेश करता है, उसपर नियंत्रण पाने के लिए उसे विकृत करता है, उस पर हावी होगा या उसे नष्ट कर देगा। सती और जौहर के पक्षपोषक और समर्थक भी औरत के जननांगों का अतिक्रमण हो जाये या वे किसी अधिकृत मर्द के नियंत्रण में न रहें, तो उस का उन्मूलन ही करते हैं। दोनों ही मामलों में मसला औरत को महज यौन अंगों तक सीमित करने का है। आप कहेंगे कि आपने फिल्म से पहले 2 लाइन का डिस्क्लेमर दिखाया था फिल्म सती/जौहर का सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सर उसके बाद आपने ढाई घण्टे अपनी फिल्म में दिखाया क्या ?

दीपक तिरुवाल की वाल से साभार

https://www.facebook.com/laxman.yadav.88/posts/2149360341758580

***

सवर्ण बेरोजगार बनाम दलित बेरोजगार

विनोद कुमार

अगर बेरोजगारी का इतिहास खोजा जाये तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के समय में और वर्तमान में इसके भयंकर दर्शन होते है। स्थिति यह है कि बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक की खबर आती है। वर्तमान मोदी सरकार ने हर वर्ष दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया था जो कि अन्य जुमलों की तरह एक झूठ जुमला ही सिद्ध हुआ। बेरोजगारी को अगर सामाजिक व्यवस्था के दायरे में रखकर देखें तो इसका अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। मसलन सवर्ण समाज में यह सबसे कम व दलित समाज में सबसे ज्यादा पाई जाती है।

बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन सामान्यतः अर्थशास्त्र में किया जाता है लेकिन दलितों की बेरोजगारी का अगर किसी को सही अध्ययन करना है तो उसे अर्थशास्त्र के दायरे से बाहर निकलकर सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि दलितों की बेरोजगारी की जड़े वहीं है- डॉ. अम्बेडकर के इस तरह के लेखन से पहले दलित व्यक्ति की बेरोजगारी की समस्या पर कोई विमर्श ही नहीं होता था क्योंकि रोजगार को चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर निधारित किया गया था। जिसमें दलितों के लिए चारों वर्ण का सेवा करना ही रोजगार माना जाता था, जो उन्हें भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता था। डॉ. अम्बेडकर और उनके द्वारा चलाये गये आन्दोलन ने इस वर्ण-व्यवस्था पर ही प्रहार किया जिससे ये समाज व्यवस्था कानूनी व वैधानिक रूप से धराशायी हो गयी जिसके परिणामस्वरूप दलितों का सेवा करने वाला रोजगार भी धराशायी हो गया। अब दलितों को नये तरह के रोजगार की आवश्यकता महसूस होने लगी। यानि की दलितों के व्यवसाय में परिवर्तन आया जिससे उन्हें नये काम के अवसरों को तलाशना शुरू कर दिया जो की अधिकांश खेत मजदूर या कारखानों में मजदूर के कामों मे लगे गये। लेकिन यहां भी उनकी स्थति में ज्यादा सुधार नहीं आया।

पहले वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मवाण के नियंत्रण में थे तो अब वो पूंजीवाद और जमींदारो के कब्जे में आ गये। इसीलिए तो डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों व मजदूरों की एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि मजदूरों के दो दुश्मन हैं- एक ब्राह्मणवाद तो दूसरा पूंजीवाद। भारत में जाति व्यवस्था की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है और दलितों की बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है और दलितों की बेरोजगारी से इसका सीधा संबंध है इस बात को भारत के कुछेक मार्क्सवादी डॉ. अम्बेडकर से 100 साल बाद अब आकर समझे हैं। असल में बेरोजगार होने का मतलब गरीब होना ही नहीं होता जो कि सामान्तया माना जाता हैं। हां, किसी दलित बेरोजगार के संबंध में ये बात सही हो सकती है लेकिन गैर दलित के लिए नहीं। इसके सबसे बड़े उदाहरण डॉ. अम्बेडकर खुद भी हैं। दुनिया के टॉप लेवल भी डॉ. अम्बेडकर कई महीनों तक बेरोजगार रहे हैं। ठीक इसके विपरीत सवर्ण समाज के करोड़ों व्यक्तियों में से एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या अब भी किसी आलोचक को शक है की दलित समाज के व्यक्ति की बेरोजगारी में और सवर्ण समाज के व्यक्ति की बेरोजगारी में अंतर नहीं होता?

अगर काम के प्रति व देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा की बात करें तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें दलित समाज का व्यक्ति सवर्ण समाज के व्यक्ति से अधिक कर्तव्यनिष्ठ रहा है, जिसका सुंदर उदाहरण है 5 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में टी.टी. कृष्णामाचारी द्वारा दिया गया भाषाण। जिसमें वह कहते हैं कि अपने खराब स्वास्थ्य के बाद भी डॉ. अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना का कार्यभार उन पर था, उन्होंने उसे बखूबी निभाया.... और अन्य छह सदस्यों की बहुत सहयोग नहीं मिलने के बावजूद संविधान रचना का अपना का पूरा किया ठीक इसी तरह के अन्य और भी कई उदाहरण हैं जिनमें दलितों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा दूसरों से ज्याद दिखई है, दूसरा उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के का है जिसने सुभाषचंद्र बोस की सेना से लड़ने से इंकार कर दिया। चमार रेजिमेंट के देशभक्त सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों का आदेश मानने से यह कहकर इंकार कर दिया कि आप हमें अपने ही लोगों से लड़वा रहे हैं। तो इस देशभक्ति के कार्य के कारण चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया, जबकि अन्य उच्च जाति की सभी रेजिमेंट अंग्रेजों के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर रही थी। सवर्ण समाज के व्यक्ति को रोजगार मिलते ही उसके सम्मान में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है जबकि दलित बेरोजगार के विषय में ऐसा नहीं होता। जब किसी दलित को काई अच्छा रोजगार मिल जाता है तो सवर्ण मानसिकता तो पूरी तरह जल-भुन उठाती है। फिर उस नौकरी प्राप्त व्यक्ति के साथ अन्याय करने का केवल स्थान और स्वरूप बदलता है अन्याय होना बंद नहीं होता। दलित व्यक्ति की रोजगार की समस्या का तो समाधान हो जाता है, पर उसकी अन्य आनुवंशिक समस्याएं मसलन जातिभेद, वर्णभेद, छुआछूत आदि जस की तस बने रहते है। ऐसे ही कुछ उदहारण डॉ. अम्बेडकर ने दस्तावेज के रूप में रखे हैं। यहां उनका वर्णन समीचीन प्रतीत होता हैं। वीजा की प्रतीक्षा नामक अपने संस्मरण में डॉ. अम्बेडकर गुजरात के खेड़ा जिले के बोरसद तहसील की एक भंयकर घटना के बारे मे लिखते हैं जिस पीड़ित व्यक्ति ने खुद डॉ. अम्बेडकर से साझा किया था। इस घटना में मुंबई में रहने वाले वाल्मीकि जाति के एक युवक को 19 फरवरी, 1936 को गांव तलाती (हिंदी में इसे पटवारी कहते है) की नौकरी मिली। जब वह ऑफिस में क्लर्क के पास पहुंचा तो उसने तिरस्कार से पूछा कौन हो तुम? मैंने जवाब दिय सर मैं एक हरिजन हूं। उसने कहा- पीछे हटो, दूर खड़े रहो। तुमने मेरे पास खड़े होने की हिम्मत कैसे की? यदि तुम ऑफिस से बाहर होते तो इसके लिए मैं तुम्हे छह लातें मारता, यहां नौकरी के लिए आने की ठीठाई क्यों की है? इसके बाद उसने मुझे प्रमाण पत्र और नियुक्ति आदेश जमीन पर डालने को कहा।

अब यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह का व्यवहार किसी भी सवर्ण व्यक्ति से कोई कर सकता है? न तो मुसलमान, न ही सिख, न ही बौद्ध न ही इसाई और न ही कोई दलित भी ऐसा करेगा। यही अंतर है एक सवर्ण व्यक्ति और दलित व्यक्ति में, जो कि सामान्यतया किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन दुःख की बात ये है कि दलित लोग जो अत्याचार सहते हैं वो इस तरह की घटनाओं को दस्तावेज बनाकर नहीं रखतें हैं और न ही किसी लेखक से इन दुखों को साझा करते हैं जो कि उनकी मानसिक दुर्बलता का परिचायक है। इन्हे डॉ. अम्बेडकर से सबक लेना चाहिए जिन्होंने अपने साथ हुए हर अन्याय की घटना का दस्तावेज बनाकर रखा और इन घटनाओं को लिखकर बताने से किसी भी तरह से उनका मान सम्मान भी कम नहीं हुआ तो वर्तमान के दलित कर्मचारी और अधिकारी का कैसे हो सकता है?

आज से लगभग चालीस-पचास साल पहले जो बच्चे स्कूल में जाते थे यानि की जिनकी वर्तमान उम्र चालीस के आसपास है ऐसे कुछ व्यक्तियों से मैंने उनके साथ स्कूल में अध्यापकों व अन्य छात्रों द्वारा किए गये अन्याय व अत्याचार के बारे में बात की तो चौंकाने वाले उदाहरण सामने आते हैं। जाहिर है कि ऐसे में सवर्ण जातियों और हिन्दू धर्मग्रंथो के प्रति मन घृणा और कटुता से भर जाता है। दलित अधिकारियों को भी प्रताड़ित करने के मामले में अक्सर सामने आते रहते जस्टिस कर्णन और राजस्थान के सेक्रेट्री लेवल के अधिकारी शामिल हैं, जिन्होने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। हालांकि मामले तो तमाम हैं जो हर दिन सामने आते हैं लेकिन कुछ ही मामले चर्चित हो पाते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों की किसी समाजशास्त्री, लेखक इतिहासकार या पत्रकार द्वारा इन घटनाओं को कलमबद्ध नहीं किया जाता हैं, लेकिन आर्मी सचिव के पद पर तैनात डॉ. अम्बेडकर ने अपने साथ हुए अत्याचार के मामले को कलमबद्ध किया है जो आज हमारे सामने हैं। डॉ. अम्बेडकर वीसा की प्रतीक्षा नाम का अपने संस्मरणामें उस वाल्मीकि जाति के युवक को कैसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया; इस घटना का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्ण करते हुए लिखते हैं कि- एक दिन मुझे गांव की आबादी की तालिका बनाने के लिए रैजपुर (जिला खेडा, गुजरात) में बुलाया। गांव के दफ्तर में जाकर मैंने दरवाजे के पास खड़ा होकर नमस्ते किया और 15 मिनट तक बाहर ही खड़ा रहा। उन्होंने कोई हो जवाब नहीं दिया तो मैं कुर्सी पर बैठ गया, तो गांव के मुखिया और तलाती (पटवारी) दोनों मुझसे बिना कुछ बोले ही उठकर चले गये। कुछ देर बाद वहां पर पुस्तकालयाध्यक्ष के नेतृत्व में भीड़ का आना शुरू हुआ। एक शिक्षित आदमी भीड़ को मेरे खिलाफ उकसा रहा था तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका। मुझे बाद में पता चला की जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वह कुर्सी उसकी थी। उसने मुझे गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। गांव के नौकर रावनिया को सम्बोधित करते हुए उसने कहा- भंगी के इस गंदे कुत्ते को कुर्सी पर बैठने की इजाजत किसने दी? रावनिया ने मुझे उठाकर कुर्सी ले ली और मैं नीचे बैठ गया। गुस्से में तमतमाती भीड़ मुझे तरह-तरह की गालिया दे रही थी, कुछ धारिया (तलवार की तरह हथियार) से मेरे टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम भंगी होकर दफ्तर में घुसना और कुर्सी पर बैठना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं... फिर मैंने उनसे दया की भीख मांगी और नौकरी छोड़ देने का वायदा भी किया। इस घटना के बाद मैं बम्बई लौट गया।

अब क्या कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि सवर्ण समाज के कर्मचारी व अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है? यही अंतर है दलित रोजगार प्राप्त और सवर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति में। ठीक इसी तरह के अंतर दलित बेरोजगार और सवर्ण बेरोजगार में भी हैं। गुजरात से ही एक सवर्ण अध्याापक की प्रतिशती के बीमार होने की स्थिति में एक सवर्ण डॉक्टर द्वारा पहले देखने से मना करने और फिर तमाम भेदभाव को बरकरार रखते हुए देखने को तैयार होने के काम में इतनी देर हो गई कि उसकी प्रतिशती की मौत हो गई। यह घटना गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक गांव की है। इस घटना में व्यक्ति बेरोजगार नहीं था बल्कि पैसे देने में सक्षम था लेकिन फिर भी उसके साथ अन्याय हुआ। अर्थात पैसे से वह अन्याय को नहीं रोक पाया। अगर वह अध्यापक सवर्ण होता तो क्या उसके साथ भी यह अन्याय हो सकता था? नहीं बिलकुल भी नहीं। सच तो यह है कि सवर्ण होने की स्थिति में चाहे वह बेरोजगार ही क्यों न होता उसके परिवार के किसी सदस्य की जान नहीं जाती। असल में सवर्ण मानसिकता एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से सवर्णो को नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ दलितों का होता है। ये दुनिया की विचित्र बीमारी होगी कि जो व्यक्ति बीमार है उसे उस बीमारी का लाभ मिल रहा है और दूसरों को नुकासन। इसलिए दलित समाज के युवक-युवतियों को अच्छे से जान लेना चाहिए कि सिर्फ रोजगार मिलने मात्र से उनको जातीय भेदभव से मुक्ति नहीं मिलेगी।

- दलित दस्तक से साभार

***

हमारे देश के धानढ्य तबकों ने व्यापक हितों की चिंता कभी नहीं की

विदेशियों जैसे नहीं हैं भारतीय अमीर

डॉ.उदित राज

हाल में ऑक्सफैम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फीसदी धनाढ्य भारतीय देश के 73 प्रतिशत धन के मालिक हैं। अरबपतियों की संख्या देश में तेजी से बढ़ी है। 2010 के बाद उनकी संपत्ति 13 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी बताई गई है, जबकि मजदूरी इस दौरान केवल 2 प्रतिशत के हिसाब से ही बढ़ी है। एक प्रतिशत भारतीय धनाढ्यों के धन की बढ़ोत्तरी 20.09 लाख करोड़ है जो भारत सरकार के बजट के बराबर है। दूसरी अप्रिय और दुखद बात यह है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की पिछले दिनों दावोस में हुई बैठक के दौरान जारी समावेशी विकास सूचकांक के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी काफी पीछे है। भारत इसमें 62वें सोपान पर है जबकि पाकिस्तान 47वें पर। चीन का इन दोनों से ऊपर होना स्वाभाविक है। वह 26वें स्थान पर है। इस सूचकांक में रहन-सहन का स्तर, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊपन और कर्ज के बोझ से भावी पीढ़ियों को संरक्षण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है।

केवल अपनी चिंता

समावेशी विकास सूचकांक में जो पांच देश सबसे आगे हैं, वे हैं लिथुआनिया, हंगरी, अजरबैजान, लाटविया और पोलैंड। और तो और, दुनिया में विकास की दृष्टि से गए-गुजरे माने जाने वाले देश भी इस सूचकांक में हमसे आगे हैं। जैसे माली, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, घाना, यूक्रेन, सर्बिया, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, ईरान, मैक्सिको, थाईलैंड और मलेशिया आदि। अगर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वस्तु और सेवा उत्पादन का सूचकांक है तो समावेशी विकास में आम नागरिक की भलाई और भविष्य की चिंता जाहिर होती है। भारत में विकास के दोनों मानकों पर दिखने वाले इतने बड़े विरोधाभास की वजह क्या हो सकती है। एक तो यह कि गरीब और अमीर दूसरे देशों में भी हैं, लेकिन हमारे जैसे अमीर दूसरे देशों के नहीं हैं। दूसरे देशों के अमीरों और कॉरपोरेट हाउसेज की अहम भूमिका उनके विकास में रही है, मगर हमारे यहां ऐसा नहीं है। उद्योगपतियों के विकास का उद्देश्य कहीं भी देश और समाज का कल्याण नहीं होता, लेकिन देश को उनकी अमीरी का कुछ लाभ तो मिलता ही है। यूरोप और अमेरिका के उद्योगपतियों ने बहुत सारा अनुसंधान कराया, जिससे नई-नई तकनीकों का विकास हुआ। हमारे यहां अनुसंधान की जिम्मेदारी सरकारी संस्थाओं पर डाल दी गई है, और काम बाहर से आयातित तकनीकों से ही चल रहा है। हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड और येल जैसे विश्वविद्यालय निजी घरानों के समर्थन

से चले, जबकि भारत में यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही लदी है।

जो समाज चार पीढ़ियों के कल्याण की जिम्मेदारी सिर पर लादे हुए हो, उससे कोई उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। विकसित देशों में एक उम्र के बाद दूसरी पीढ़ी की भी चिंता नहीं की जाती। बड़े से बड़े उद्योगपतियों के बच्चे 16-17 साल के होते ही खुद कमाना शुरू कर देते हैं। अपनी जरूरतें वे अपनी ही कमाई से पूरी करते हैं। इसके विपरीत हमारे यहां खुद के बच्चे तो क्या, नाती-पोते का भी पूरा बंदोबस्त करने का चलन है। पहले लोग अपने बेटे-बेटियों को स्थापित करते हैं, फिर नाती-पोतों को जमाने में लग जाते हैं। इसके अलावा अपने अगले जन्म के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ता है। बहुत सारी धन-संपत्ति पूजा-पाठ और मंदिरों में लगाई जाती है।

कोई अपने संतोष के लिए पूजा-पाठ करे या मंदिर-मस्जिद बनवाए, इसमें किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जो काम धार्मिक संतुष्टि के लिए किया जा रहा हो, उसमें सादगी होनी चाहिए ताकि धन की फिजूलखर्ची न हो। यह धन समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा आदि में लगाया जाए तो जन-शक्ति की गुणवत्ता सुधरेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उद्योग जगत को होगा। कुछ लोग तो कमाते ही हैं बेटी की शादी के लिए। महंगी और खर्चीली शादी में जो पैसा लगता है, वह अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करता। वह बस एक बार का खर्चा होता है। शादियों पर करोड़ों-अरबों रुपये लगा देने से भविष्य में कोई फायदा नहीं होता। इसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। यही पैसा उद्योग-व्यापार में लगाया जाए तो वह कई गुना हो जाता है और रोजगार का सृजन भी होता है।

टैक्स छुपाने की जुगत

तमाम भारतीय धनाढ्य टैक्स बचाने और छुपाने के लिए क्या-क्या नहीं करते। वे दो तरह का हिसाब रखते हैं, कच्चा और पक्का। पैसा अधिक हो जाए तो विदेशों मे जमा करते हैं, या वहीं संपत्ति अर्जित करते हैं। एक घर अगर भारत में है तो कोशिश करेंगे कि एक दुबई में या हांगकांग, लंदन या अन्य शहरों में हो। भले ही इन घरों की कोई उपयोगिता हो या न हो। दान भी प्रायस उन्हीं संस्थाओं के लिए करते हैं, जिनसे कुछ फायदा दिखता हो। हमारे यहां कोई भी ऐसा कॉरपोरेट घराना नहीं है जिसने तकनीकी का अनुसंधान करके पैसा कमाया हो। अगर बिल गेट्स धनवान हुआ तो अपने दम पर विंडोज सॉफ्टवेयर बनाकर। जुकर बर्ग ने फेसबुक बनाया, तब पैसा कमाया।

ये लोग अपने जीवन में ही अपना कमाया सारा धन खत्म करके या दान देकर मरते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे धन जरूर कमाते हैं, लेकिन उसे अपने निजी स्वार्थ में लगाने के बजाय उससे समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत हमारे समाज में दिन-रात प्रवचन चलता रहता है कि धन का लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती कि वह लोगों को रोजगार दे और उनकी जिंदगी की अन्य जरूरतें पूरी करने पर ध्यान दे। देश के धनाढ्य वर्ग का भी कुछ कर्तव्य होता है। यह तबका ऐसा नहीं करता है तो यह उसकी क्रूरता, उसका स्वार्थीपन है।

– 31 जनवरी, 2018 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेख

***

महान दलित विभूतियों का तिरस्कार?

हमारा देश सदियों पुराना देश है जहां न जाने कितने बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं ने राज किया और देश के इतिहास के पन्नों पर अपने कार्यों के माध्यम से अमिट छाप छोड़ दी। जितना पुराना इस देश का इतिहास है, लगभग उतना ही पुरानी इसकी जातिप्रथा का भी कलंक इसके हिस्से में आता है। कम से कम दस हजार वर्षों से तो जातिप्रथा का घुन इस देश के गौरव को एक दीमक की तरह चाट रहा है। इतिहास के पन्नों की परतें फिरोलें तो पता चलता है कि आज से लगभग 2550 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था और उस वक्त इस युद्ध के महानायक, श्रीकृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी! श्री कृष्ण से लगभग 2100 वर्ष पूर्व भगवान राम हुए थे और राम से तकरीबन दो-ढ़ाई हजार वर्ष पहले मनु महाराज नाम का एक ऋषि हुआ था। इस मनु महाराज से पहले समाज में होने वाले सभी कार्यों में तरलता थी, अर्थात कोई जाति-पाति नहीं थी। समाज में अमीर-गरीब का भेदभाव तो था, लेकिन समाज में रहने वाले सभी लोगों को अपनी हैसियत और शारीरिक बल और बुद्धि के हिसाब से कोई भी काम धंधा करने की सबको आजादी थी।

लेकिन फिर मनु महाराज जैसे बड़े ही शातिर दिमाग वाले लोगों ने राज घरानों के साथ अपने असर रसूख के बलबूते पर इस एकदम सरल वर्गीकरण व्यवस्था में ऐसी तब्दिलियां लानी प्रारंभ कर दी (तकरीबन दस हजार वर्ष पहले) जिसने कि समाज को एक बहुत बड़े और भयानक बदलाव कि दिशा की ओर धकेल दिया। इस मनु महाराज ने समाज में ऐसा बंटवारा करवा दिया कि उस वक्त के जो गरीब लोग और उनकी आने वाली अनेकों पीढ़ियों कि दशा ही बदल डाली। क्योंकि राजे महाराजों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही थी, उन्होंने इस व्यवस्था पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। मैं तो इस मनु महाराज को एक बहुत बड़ा षडयंत्रकारी और चालबाज ही कहूंगा, क्योंकि उसने अपने जैसे लाखों अमीरजादों के मुनाफे के मद्देनजर हमेशा के लिए अच्छी आर्थिक सुविधाजनक परिस्थितियां बना डाली और समाज को चार वर्णों में विभाजित कर दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसी भी मनुष्य को उसकी अपनी बुद्धि, बल और क्षमता के आधार पर समाज में बढ़ने, फैलने-फूलने के सभी दरवाजे बंद कर दिए। पहले जो समाज में व्यवसायों के लिए तरलता थी, वह अब समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मणों के बच्चे हमेशा ब्राह्मण ही रहेंगे, क्षत्रियों के बच्चे हमेशा क्षत्रिय ही रहेंगे, और इसी तरह वैश्य हमेशा वैश्य ही और शूद्र हमेशा के लिए शूद्र ही रहेंगे। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना-पढ़ाना ही अनिवार्य कर दिया, क्षत्रिय बस देश का शासन और राजपाठ ही संभालेंगे, वैश्य समाज के सभी व्यापार/कारोबार इत्यादि ही करते रहेंगे और अंत में शूद्रों को बोल दिया कि आप लोग केवल ऊपर की तीनों जातियों की सेवा ही करोगे। इनके बाकी सभी सामाजिक-आर्थिक अधिकार समाप्त।

तो ऐसे इस षडयंत्रकारी मनु महाराज ने उस वक्त के गरीबों को ताउम्र बाकिओं के दास बना दिया। उनको समाज में रहने वाली अन्य तीनों जातियों को उपलब्ध अधिकार- जैसे कि पढ़-लिख कर अपना जीवन संवारना, जमीन जायदाद का अधिकार, और न जाने कितने फलने फूलने के अवसर, वह सब बंद कर दिए। ऐसी ही शर्मनाक व्यवस्थाओं के चलते सदियां बीत गई, युग बदल गए, मगर शूद्रों का शोषण और उनपे होने वाले अत्याचार बंद नहीं हुए। बल्कि, उन पर अपवित्र और अस्पृश्य होने का कलंक और मढ़ दिया। यदाकदा इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ क्रांतिकारियों ने यत्न भी किये, मगर उनकी अवाज को बुरी तरह कुचल दिया गया।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर उन्नीसवीं सदी के आखिर में एक एक बड़े ही जुझारू योद्धा ने 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गरीब परिवार में जन्म लिया। भीम राव अम्बेडकर नाम के इस युवक ने बड़ी मुश्किल हालातों में शिक्षा प्राप्त की। उस वक्त समाज में छुआछूत पूरे जोरों पर थी, दलितों पर खूब अत्याचार भी हुआ करते थे, इनके पढ़ने-लिखने के रास्ते में बहुत सी बाधाएं डाली जाती थी, ताकि यह लोग तमाम उम्र अनपढ़ रहकर, गुलाम ही बने रहें और बाकी तीनों जातियों के लोग उन पर अपनी मन माफिक जुल्म, अत्याचार और शोषण कर सकें। डॉ. अम्बेडकर ने भी ऐसे ही शोषण और अत्याचारों के बीच रहते हुए अपनी शिक्षा पूरी ही नहीं की, बल्कि उस जमाने में भी ऐसी और इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल की, कि उनके जमाने के अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति वाले भी उनके सामने फीके पड़ने लगे।

देश में अंग्रेज हुकूमत का राज था और चारों तरफ गुलामी की जंजीरें काटने और इसको तोड़ने के लिए खूब जी-जान से यतन किये जा रहे थे। देश प्रेमी अपने देश के लिए आजादी हासिल करने खातिर जान की बाजियां लगा रहे थे, मगर इसी देश में रहने वाले करोड़ों दलितों को तथाकथित तीनों ऊंची जातियों के लोगों के चुंगल से छुड़वाने के लिए, किसी को कोई चिन्ता-फिक्र नहीं थी। बल्कि वह लोग तो चाहते थे कि यह दलित लोग हमेशा के लिए ऐसे ही दबे-कुचले ही रहें ताकि इनपर अपनी मनमर्जी के मुताबिक इनसे काम लिया जाये और इन में से किसी में भी इतनी हिम्मत न आए कि कोई उफ तक न कर सकें! वह तो सभी यही मानकर बैठे हुए थे कि यह लोग तो अंग्रेजों से आजादी हासिल होने के बाद भी हमारे गुलाम ही बने रहेंगे।

25 दिसम्बर, 1927 को महाड़, महाराष्ट्र में अपने एक सत्याग्रह के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के साथ भेदभाव सिखाने वाली, रुढ़िवादी विचारों वाली और अवैज्ञानिक सोच पर आधारित ब्राह्मणवादी पुस्तक मनुसमृति एक भव्य जन समूह के

शेष पृष्ठ क्र .6 पर

साल 2017 में एक प्रतिशत अमीरों की जेब में गया कुल संपत्ति का 73 प्रतिशतः सर्वे

विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने दावोस जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था सभी के लिए काम करती है, न कि सिर्फ चंद लोगों के लिए।

दावोस (स्विट्जरलैंड)/नई दिल्ली : भारत में 2017 में कुल संपत्ति के सृजन का 73 प्रतिशत हिस्सा केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के हाथों में है। एक नए सर्वेक्षण से सोमवार को इस तथ्य का खुलासा किया गया। साथ की सर्वेक्षण ने भारत की आय में असामनता की चिंताजनक तस्वीर पेश की।

अंतरराष्ट्रीय राइट्स समूह ऑक्सफेम की ओर से यह सर्वेक्षण दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शिखर बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में सिर्फ एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के संबंध में इसमें कहा गया है कि पिछले साल 17 नए अरबपति बने है। इसके साथ अरबपतियों की संख्या 101 हो गई है। 2017 में भारतीय अमीरों की संपत्ति 4।89 लाख करोड़ बढ़कर 20।7 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह 4189 लाख करोड़ऐ कई राज्यों के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट का 85 प्रतिशत है।

ऑक्सफेम इंडिया की सीईओ निशा अग्रवाल ने बताया कि यह भयानक स्थिति है कि भारत में आर्थिक विकास का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गया है। उन्होंने कहा, 'अरबपतियों की बढ़ती संख्या संपन्न अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि कमजोर अर्थव्यवस्था के लक्षण को दर्शाती है। जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फसल उगा रहे हैं। बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं। कारखानों में काम कर रहे हैं, वे बच्चों को शिक्षा दिलवाने, परिवार के सदस्यों के लिए दवा खरीदने और दो जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाज में इस तरह का विभाजन लोकतंत्र के प्रभाव को घटाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।' सर्वे में यह भी दिखाया गया है कि महिलाओं की स्थिति निचले स्तर पर है। दस में से नौ अरबपति पुरुष हैं। भारत में केवल चार महिला अरबपति हैं

और उनमें से तीन के पास पैतृक संपत्ति है।

ऑक्सफेम के अनुसार, 'ग्रामीण भारत में एक कामगार अपनी पूरी जिंदगी (तकरीबन 50 साल का काम) में जितना कमाता है उतना कमाने में किसी शीर्ष कपड़ा कंपनी के प्रबंधक को सिर्फ 17।5 दिन लगते हैं। वैश्विक स्तर पर यह तस्वीर और भी चिंताजनक है। पिछले साल दुनिया भर में अर्जित की गई संपत्ति का 82 प्रतिशत केवल एक प्रतिशत लोगों के पास है। वहीं, 3।7 अरब लोगों की संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ, जिसमें गरीब आबादी का आधा हिस्सा आता है। ऑक्सफेम के वार्षिक सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होती है, जहां बढ़ती आय और लिंग के आधार पर असमानता दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के बीच प्रमुख बिंदु है।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत की कुल संपत्ति का 58 प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है। जो कि वैश्विक आंकड़े से भी अधिक है। वैश्विक स्तर पर एक प्रतिशत अमीरों के पास कुल संपत्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा है। ऑक्सफेम इंडिया ने कहा कि 2017 के दौरान भारत के एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति बढ़कर 20।9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। 'रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ' शीर्षक से जारी सर्वेक्षण पर ऑक्सफेम ने कहा कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था अमीरों को और अधिक धन एकत्र करने में सक्षम बनाती है और वहीं लाखों करोड़ों लोग जिंदगी जीने के लिए मशक्कत कर रहे हैं।

इस सर्वेक्षण में 10 देशों के 70,000 लोगों को शामिल किया गया है। डब्ल्यूईएफ की बैठक में शामिल होने दावोस जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑक्सफेम इंडिया ने आग्रह किया है कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था सभी के लिए काम करती है न कि सिर्फ चंद लोगों के लिए। उन्होंने सरकार से श्रम आधारित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने, कृषि में निवेश करने और सामाजिक योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए कहा है। विश्व आर्थिक मंच की शिखर बैठक में शामिल होने के लिए मोदी दावोस रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दावोस रवाना हो गए जहां वे विश्व आर्थिक मंच की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा था कि वह दावोस (स्विट्जरलैंड) में अपने कार्यक्रमों के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के भविष्य के संबंधों पर अपना नजरिया रखेंगे। मोदी यह भी चाहते हैं कि दुनिया के नेता मौजूदा वैश्विक प्रणालियों के समक्ष वर्तमान तथा नई उभरती चुनौतियों पर 'गंभीरता से ध्यान दें। मोदी दावोस में इस बार विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शिखर बैठक के पहले पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने वाले है। मोदी ने दावोस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा था कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंधों का हालिया वर्षों में विस्तार हुआ है। दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंध 'वास्तवित रूप से बहुआयामी हुए हैं जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामान्य जन के स्तर पर, और सुरक्षा तथा अन्य आयाम शामिल हैं।' मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था, 'दावोस में मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के भविष्य के संबंधों के बारे में अपनी राय रखूंगा।

उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेरसेट तथा स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ द्विपक्षीय बैठक का इंतजार है। मोदी ने कहा, 'मुझे यकीन है कि द्विपक्षीय मुलाकातें फलदायी होंगी और इन देशों के साथ हमारे संबंध तथा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'समकालीन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और वैश्विक सरकारी ढांचे के समक्ष मौजूदा तथा उभर रही चुनौतियों पर नेताओं, सरकारों, नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट तथा सामाजिक संगठनों द्वारा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।' उन्होंने सम्मेलन के मुख्य मंत्र 'क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड' (बंटी हुए संसार के साझे भविष्य का सृजन) को विचारपूर्ण और उचित बताया था।

http://thewirehindi.com/32140/world-economic-forum-rich-poor-in-india-oxfam-survey-narendra-modi/

***

उभरती अर्थव्यवस्था की सूची में पाकिस्तान-बांग्लादेश से भी पिछड़ा भारत, 103 देशों में मिला 62वां स्थान

नई दिल्ली। जहाँ एक तरफ देश में अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत चीन को पछाड़कर अर्थव्यवस्था के मामले में आगे निकल जाएगा। वहीं उभरती अर्थव्यवस्था की सूची में भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और श्रीलंका जैसे देशों ने भी पछाड़ दिया है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने अपनी सालाना शिखर बैठक शुरू होने से पहले सोमवार को जारी समावेशी वृद्धि सूचकांक की सूची में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में 62वें स्थान पर है। इस मामले में चीन का 26वां और पाकिस्तान का 47वां स्थान है।

डब्ल्यूईएफ ने कहा कि इस सूचकांक में रहन सहन का स्तर, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊपन और भविष्य की पीढ़ियों को और कर्ज के बोझ से संरक्षण आदि पहलुओं को शामिल किया जाता है। डब्ल्यूईएफ ने विश्व नेताओं से कहा कि वे तेजी से

समावेशी वृद्धि और विकास के नए मॉडल की ओर बढ़े। मंच ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर उपलब्धि हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर निर्भरता बढ़ने से असमानता की स्थिति पैदा हो रही है।

भारत पिछले साल 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 60वें स्थान पर था, जबकि चीन 15वें और पाकिस्तान 52वें स्थान पर था। वर्ष 2018 के इंडेक्स में 103 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति की आकलन तीन निजी स्तंभों- वृद्धि एवं विकास, समावेशन और अंतर पीढ़ी इक्विटी के आधार पर किया गया है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में 29 विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा दूसरे में 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में पांच चाल के समावेशी विकास एवं वृद्धि के रुख पर विभिन्न देशों को पांच उप श्रेणियों में वगीकृत किया गया है। यह है घटना, धीरे-धीरे घटना, स्थिर, धीमी वृद्धि या वृद्धि। भारत का कुल अंक निचले स्तर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उन दस उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हैं जो बढ़ रही हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्वे के बाद आयरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क शीर्ष पांच में शामिल हैं।

सूचकांक में शीर्ष पर छोटे यूरोपीय देश हैं। शीर्ष दस में नौवें स्थान पर आस्ट्रेलिया एकमात्र गैर यूरोपीय देश है। जी-7 अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी 12वें, कनाडा 17 वें, फ्रांस 18वें, ब्रिटेन 21वें, अमेरिका 23वें, जापान 24वें और इटली 27वें स्थान पर है। शीर्ष पांच समावेशी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लुथिआना, हंगरी, अजरबैजान, लातविया और पोलैंड है। ब्रिक्स देशों में रूस 19वें, चीन 26वें, ब्राजील 37वें, भारत 62वें और दक्षिण अफ्रीका 69वें स्थान पर हैं।

-http://padtal.com/news/news_detail/inclusive-development-index-india-ranks-62

पृष्ठ 4 का शेष

महान दलित विभूतियों .....

सामने जला डाली और कड़े शब्दों में इस पुस्तक में बताई गई वर्णव्यवस्था सिरे से ही ठुकराते हुए अपने अनुयाईओं को भी इसे बिलकुल न मानने का निर्देश दे दिया। यही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर दलितों को पानी लेने का भी ऐलान किया क्योंकि भगवान ने सभी कुदरती साधन और व्यवस्थाएं सभी इन्सानों के लिए ही की हुई हैं। कुछ मनुवादियों को डॉ. अम्बेडकर द्वारा दी गई चुनौतियां पसन्द नहीं आई और उन्होंने डॉ. अम्बेडकर की इन हरकतों को समाज विरोधी बताया और ऐसा करने वालों में महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के बहुत से बड़े-बड़े नेतागण भी शामिल थे। लेकिन डॉ. अम्बेडकर उनकी परवाह न करते हुए अपने मिशन में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ, डॉ. अम्बेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत को बार-बार पत्र लिखकर दलित शोषित वर्ग की स्थिति से अवगत करवाया और उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए मांगपत्र भी भेजे। बाबासाहेब के पत्रों में वर्णित छुआछूत व भेदभाव के बारे में पढ़कर अंग्रेज दंग रह गए कि क्या एक मानव दूसरे मानव के साथ ऐसे भी पेश आ सकता है।

बाबा साहेब के तथ्यों से परिपूर्ण तर्कयुक्त पत्रों से अंग्रेजी हुकूमत अवाक रह गई और उसने 1927 में दलित शोषित वर्ग की स्थिति के अध्ययन के लिए और डॉ. अम्बेडकर के आरोपों की जांच के लिए अंग्रेज हुकूमत ने एक विख्यात वकील, सर जॉन साईमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। कांग्रेस ने इस आयोग का खूब विरोध किया मगर 1930 में आयोग ने भारत आकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। मई 1930 को उनके साथ एक मीटिंग में डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म में फैली बेशुमार कुरीतियों, अवैज्ञानिक जातिप्रथा की गलत धारणाओं पर आधारित, बड़ी तीन जातियों द्वारा अपनी कौम के साथ हो रही बेशुमार ज्यादतियों का काला कच्चा चिट्ठा उसके सामने रखा और उनसे इस वर्णव्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की अपील की। साइमन कमीशन को यह जानकर बड़ा दुख और हैरानी हुई की हिन्दुस्तान में समाज एक चौथाई तबके के साथ सदियों से ऐसा होता आ रहा है और देश सभी बड़े-बड़े नेता इस पर खामोशी साधे हुए हैं?

ऐसे ही चलते-चलते जब आजादी का अन्दोलन अपने पड़ाव में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस बड़े नेता महात्मा गांधी ने दलितों के ऊपर हजारों वर्षो से चले आ रहे शोषण, व अत्याचार के प्रति अपनी अन्तिम राय दे दी कि "मैं तो एक कट्टर हिन्दू हूं, और हिन्दू धर्म में सदियों से चली आ रही वर्णव्यवस्था सही है, और मैं इसको बदलने के पक्ष में बिलकुल भी नहीं हूं", तब डॉ अम्बेडकर ने अंग्रेज हुकूमत के सामने अपनी एक और बड़ी मांग रख दी कि देश की आजादी के बाद हमें इन तथाकथित छूते/पाखण्डी/अत्याचारी सवर्णों के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमें भी अपनी आबादी के अनुपात से एक अलग देश बनाने की अनुमति दी जाये और इसके लिए देश के पूरे क्षेत्रफल में से अपने हिस्से की जमीन भी दी जाये। डॉ. अम्बेडकर की इस मांग को सुनकर कांग्रेस के सभी बड़े-बड़े नेताओं में तो हड़कंप मच गया (खास तौर पे जब साईमन आयोग के साथ हुई 3-4 बैठकों के बाद कांग्रेसी नेताओं को इस बात का एहसास होने लग गया कि आयोग तो डॉ. अम्बेडकर के ज्यादातर मामलों से सहमत होता नजर आ रहा है) और महात्मा गांधी ने जलभुन के पुणे में आमरण अनशन रख दिया। जब अन्य कांग्रेस के नेताओं के समझाने के बावजूद भी डॉ. अम्बेडकर अपनी अलग देश की मांग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो इन नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर को मनाने के लिए एक साजिश रची। इस षडयन्त्र के तहत गांधी की पत्नी, कस्तूरबा गांधी कुछ अन्य महिलाओं के साथ डॉ. अम्बेडकर से मिलने गई और उनसे अपनी अलग देश की मांग त्यागने की बिनती की और हाथ जोड़कर प्रार्थना कि "मेरे पति की जान अब केवल आप ही बचा सकते हो। अगर आप अपनी यह मांग त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं तो कांग्रेस आपकी बहुत सी मांगों पर सकारात्मक रूप में विचार कर सकती हैं। "डॉ. अम्बेडकर ने कस्तूरबा गाँधी को समझाते हुए स्पष्ट लफ्जों में कहा कि "यदि गाँधी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते, तो वह न्यायोचित हैं।

परन्तु यह एक पीड़ादायक आश्चर्य तो यह है कि गांधी ने केवल अछूतों के विरोध का रास्ता चुना है, जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इस अधिकार के बारे में गांधी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आगे कहा की महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं हैं। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा आए और चले गए, लेकिन हमारे समाज में छुआछूत समाप्त नहीं हुई, हजारों वर्षो से अछूत, आज भी अछूत ही हैं। मगर अब हम गांधी के प्राण बचाने के लिए करोड़ों अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकते। "लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला बढ़ने लगा और डॉ. अम्बेडकर ने कस्तूरबा गांधी के आश्वासन पर और दलितों की सम्पूर्ण स्थिति पर बड़ा गहन सोच विचार किया, और इस तरह 24 दिसम्बर, 1932 को पूना समझौते के अन्तर्गत दलितों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में चुनाव में, शिक्षा के लिए कॉलजों में दाखिले हेतु और सरकारी नौकरियों में और पदोन्तियों में सीटें आरक्षित रखने के मुद्दे पर सहमति बन पाई। ऐसे ही एक और मीटिंग में डॉ. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को उस वक्त अच्छी तरह लताड़ दिया जब उसने कहा कि आप ऐसे ही इतने खफा होते रहते हो, मैंने आपके लोगों के लिए एक नया शब्द "हरिजन" दे तो दिया है। डॉ. अम्बेडकर ने सभा में उपस्थित सभी को सम्बोधन करते हुए कहा, "मैं इतने वर्षो से जातिपाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए जी-जान से दिन रात संघर्ष कर रहा हूं, पूरे समाज को, पूरी मानवता को, इन्सानियत को एक ही पायदान पर लाकर खड़ा करने के प्रयासों में जुटा रहता हूं, और यह आदमी दलितों की एक अलग ही पहचान बनाने के लिए एक नई खिड़की खोल रहा है।" नेहरू से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बाबासाहेब से कहा, "अम्बेडकर जी! आप गांधीजी से इस लहजे में बात नहीं कर सकते!" इस पर डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें भी तल्खी से लताड़ते हुए उत्तर दिया, "मेरी एक बात का जवाब दो हरिजन का शाब्दिक अर्थ होता है- भगवान के बन्दे, अगर केवल मेरे दलित शोषित वर्ग के लोग ही हरिजन हैं, जैसा कि आपके महात्मा गांधी कह रहे हैं, तो क्या आप बाकी सब राक्षसों की औलाद हैं?" डॉ. अम्बेडकर का यह तर्क सुनकर सभा में बैठे सब लोग थोड़ा झेंपकर इधर-उधर देखने लग गए और सभा में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया।

अगस्त 1947 में देश की आजादी के बाद उन्होंने देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और यह संविधान 26 जनवरी, 1950को लागू किया गया। तमाम उम्र डॉ. अम्बेडकर कड़ा संघर्ष ही करते रहे, पूरे देश की खातिर और अपने समाज की खातिर, मगर वक्त-वक्त पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका तिरस्कार व निरादर ही किया। देश का संविधान लिखा, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक (The Problem of the Rupee – Its Origin and Its Solution) के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को की गई। न जाने और कितने उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। कानूनी तौर पर देश से छुआ-छूत मिटाई, सारी उम्र उन्होंने दलितों और समाज के दबे कुचले बहिष्कृत और तिरस्कृत लोगों को न्याय दिलाने में लगा दी, देश के सभी नागरिकों को एक समान वोट देने का अधिकार दिलाया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित/जनजातियों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अलग से निर्वाचिन सीटें दिलाई, मगर उनके खुद के साथ पूरी उम्र ज्यादतियां ही होती रहीं। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके देश लौटे और महाराजा गायकवाड़ के यहां अपने समझौते के मुताबिक नौकरी करने पहुंचे, तो वहां के लोगों ने उनकी नीची जाति के कारण उन्हें किराये पर कोई घर नहीं दिया। उनके ही दफ्तर में काम करने वाला चपरासी जोकि पढ़ाई-लिखाई में बिलकुल ही निम्न स्तर का था, वह भी उनको पानी नहीं पिलाता था। जब अम्बेडकर पाठशाला में ही पढ़ते थे, क्लास में रखे हुए पानी के घड़े में से उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, और वह क्लास से बाहर, अपने बाकी सहपाठियों से अलग, अपने ही घर से लाये गए टाट पर बैठते थे। इतना पढ़ने-लिखने के बाद भी जब उन्होंने ढेर सारी किताबें लिख चुके थे, अखबार के एडिटर भी बन चुके थे, कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे, इसके बावजूद भी जुलाई 1945 में उनको पुरी में जगन्नाथ मन्दिर में जाने से वहां के पुजारियों ने रोक दिया था, क्योंकि अम्बेडकर एक शूद्र/महार परिवार से आए थे। केवल इतना ही नहीं, अपने आपको बड़े पढ़े-लिखे और आधुनिक कहलवाने वाले महात्मा गांधी ने भी एक बार यह बात कबूल की कि जब भी किसी मीटिंग में उनको डॉ. अम्बेडकर के साथ हाथ मिलाना पड़ता था, उस दिन घर जाने के बाद जबतक वह साबुन से अच्छी तरह हाथ नहीं धो लेते थे, वह खाने पीने की किसी भी वस्तु को छूते तक नहीं थे। बाद में ऐसा ही रवैया कुछ और कांग्रेसी नेताओं ने स्वीकार किया।

वैसे तो डॉ. अम्बेडकर बहुत पहले अपने मन की बात कह चुके थे कि उनका जन्म ही हिन्दू धर्म में हुआ है, लेकिन वह हिन्दू मरेंगे नहीं, और अन्ततः 14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर, अपने निजी सचिव – नानक चन्द रत्तु और दो लाख से भी ज्यादा अनुयाईयों के साथ नागपुर में हिन्दु धर्म त्यागने की घोषणा कर दी और बुद्ध धर्म (जोकि मानवता की बराबरी, ज्ञान, सच्चाई के रास्ते और करुणा/दया के सिद्धांतों पर आधारित है), को अपना लिया। आजादी के बाद भी वह देश के पहले कानून मंत्री बन गए थे, इतनी ज्यादा विभिन्नताओं से भरे देश के लिए संविधान भी लिखा, मगर इतना कुछ करने के बाद भी उनको देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नहीं नवाजा गया था, आखिर यह तो तब सम्भव हो पाया जब 1990 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमरीका, यहाँ से उन्होंने अपनी पी. एचडी की थी, उन्होंने डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को जब भारत ने 26 जनवरी, 1950 को लागू कर दिया था, तब ही अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में डॉ. अम्बेडकर को यथा सम्भव सम्मान देते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी थी। डॉ. अम्बेडकर का परिनिर्वाण तो दिल्ली में 6 दिसम्बर, 1956 को हुआ था, लेकिन उनके अन्तिम संस्कार के लिए नेहरू ने दिल्ली में कोई जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, नेहरू जानते थे कि पूरे देश में डॉ. अम्बेडकर को मानने और सम्मान देने वालों की संख्या करोड़ों में है, और अगर इनका अन्तिम संस्कार दिल्ली में हो गया तो प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर के जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस पर यहां तो मेले लगते रहेंगे। इस लिहाज से मरा हुआ अम्बेडकर जिन्दा अम्बेडकर से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यही सब ध्यान में रखते हुए नेहरू ने उन्हें (उनके घर वालों की इच्छा के खिलाफ) दिल्ली से दूर उनके शव को एक विशेष विमान से मुम्बई भेज दिया। तो इस तरह देश के संविधान निर्माता और एक बड़े तबके के रहनुमा के साथ परिनिर्वाण के बाद भी नाइन्साफी ही हुई। देश के संविधान निर्माता को देश की राजधानी में जगह नहीं मिली। इतना ही नहीं, उनके परलोक सुधारने के बाद भी उनके साथ अत्याचार होने बंद नहीं हुए हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई उनकी प्रतिमाएं अक्सर या तो तोड़ दी जाती हैं या फिर उनके चेहरे पर कालिख पोत दी जाती है। कुछ भी हो, दलित समाज के करोड़ों लोगों के दिलों में डॉ. अम्बेडकर का मान सम्मान और दर्जा किसी देवता से कम नहीं है और वह उन्हें 14वीं सदी के महान गुरु, क्रन्तिकारी समाज सुधारक, गुरु रविदास जी का ही अवतार मानते हैं।

इस तथाकथित महान आदमी, महात्मा गांधी का दोगलापन तो देखिए-जब 1893 में डरबन, साऊथ अफ्रीका में एक गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर करते समय एक टिकट चौकर ने उसे से गाड़ी से इसलिए उतार फेंका था कि उसका काला रंग है और काले रंगवाले लोगों को ऐसे सहूलतों वाले रेल के डिब्बे में सफर करने की इजाजत नहीं है, तब उसने सारी दुनियां को चीख-चीख कर बताया था के मेरे साथ रंग/नसल के आधार पर भेदभाव करते हुए नाइंसाफी हुई है, उसी महात्मा गांधी को अपने ही देश में हजारों वर्षो से शूद्रों के साथ जातिपाति के आधार पर हो रहे भेदभाव, शोषण और अत्याचार कभी नजर नहीं आये और जब डॉ. अम्बेडकर ने इसके खिलाफ बुलन्द आवाज में विरोध किया तो वह हमेशा यही कहता रहा कि हिन्दुओं में प्रचलित यह वर्णव्यवस्था हजारों वर्ष पुरानी है और इसमें सुधार या बदलाव लाने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सोलह आने सच है कि इस देश में अंग्रेज आए और उसी दौरान बाबासाहेब अम्बेडकर जैसी महान विभूति ने अवतार लिया और अंग्रेजों के दिलो-दिमाग में यह बात बैठाने में बाबासाहेब कामयाब हो गए कि इन तथाकथित ऊंची जाति वाले लोगों ने देश की एक चौथाई आबादी को हजारों वर्षो से गुलाम बनाकर रखा हुआ है, झूठ, फरेब, अनपढ़ता और अंधविश्वाशों में उलझाकर उनका हजारों वर्षो से उनका शोषण व अत्याचार कर रहे हैं, उनकी उन्नति, विकास और प्रगत्ति के रास्ते में एक जहरीले साँप की तरह कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं, और इन मनुवादी ब्राह्मणों से तो कहीं ज्यादा तर्कशील और विवेकशील वह अंग्रेज शासिक थे, जिन्होंने बाबा साहेब द्वारा व्याख्यान की

शेष अगले अंक में

The fast disappearing Muslim in the Indian republic

We must confront the following terrifying fact: Of the 1386 BJP MLAs now in the country, there are only four Muslims.

Nissim Mannathukkaren

In a democracy, the majority of the citizens is capable of exercising the most cruel oppressions upon the minority. —Edmund Burke. As the nation celebrates the Republic's 69th year, the one dangerous trend that is becoming solidified since 2014 is the political invisibilisation of the Muslim, by denying the significant minority any political space. This is key to the Hindutva project of Hindu majoritarianism and the othering of the Muslim in every social sphere.

While the egregious attacks against Muslims (and Dalits) in the form of lynchings/killings have garnered expected outrage, including abroad — the New York Times, for example, has written an unprecedented 16 editorials since May 2014 against the Modi government's embrace of religious extremism, intolerance and the curbing of freedoms — what is not so obvious is the slow elimination of Muslim political representation.

Unlike physical attacks against Muslims, this political cleansing is insidious for it is executed through perfectly "legitimate" and "democratic" methods. After all, people might ask, what is democracy other than the enforcement of the will of the majority? The answer is that Hindutva's electoral majority does not want Muslims to be politically represented. This is what Alexis de Tocqueville called the "tyranny of majority" as early as the 19th century.

The last four years have seen a terrifying demonstration of this tyranny in action. In the 2014 elections, the BJP came to power without a single elected Muslim MP – in any case it had fielded only seven Muslims (5 in J & K and Bengal alone) out of a total of 482 candidates. The total Muslim representation in Parliament fell to 4%, the lowest since 1957. Muslims constitute 19.2% of the Uttar Pradesh population, that is about 4.3 crore people, as big as the population of Argentina. Yet, the BJP did not field a single Muslim candidate in the 2017 Assembly elections, which it swept with 312 seats out of 403. Muslim representation drastically fell from 17.1 % to 5.9% in the UP Assembly. In Assam, (where the Muslim population is 34.2%), the BJP has one Muslim MLA out of 61. In Bihar and Jharkhand (16.9% and 14.5% Muslim population, respectively), the BJP has no Muslim MLAs. In Maharashtra (11.54% Muslim population), the BJP won with 122 MLAs and fielded one Muslim, who lost.

Since Narendra Modi became Gujarat chief minister in 2002, the BJP has not fielded a single Muslim candidate either in the Lok Sabha or Assembly Elections. If the Muslim representation in Gujarat Assembly was 6.6% in 1980 (when the Muslim population was 9.67%), the political cleansing ensured that it is only 1.6% now. The effectiveness of the strategy is that even the Congress Party does not dare utter the word 'Muslim' in Gujarat. All this leads to the following terrifying fact: Of the 1418 BJP MLAs now in the country, there are only four Muslims. That is 0.28% of the population, when the Muslim population is 14.2%. The exclusion is simply staggering. In a comparative perspective, in November 2014, non-BJP ruled states had 300 Muslim MLAs, representing 13% of the total MLA population.

The BJP's bogey of "Muslim appeasement" is worth examining, in the armed forces, judiciary, police and civil services, as well as in politics. Muslim representation in Parliament in the Congress-dominant era of 1952-1977 ranged between 2% and 7%. The highest representation was in 1980; even then it touched only 10%, less than the overall Muslim population. In UP, Muslim representation in the Assembly ranged between 5.9% to 9.5% in the period 1951-1977, much less than its population. Only as late as 2012 did it touch 17.1%, but again fell short of its overall population share. Even in Bihar, where the so-called "secular" Congress and Janata Dal/Rashtriya Janata Dal parties have been accused of pandering to Muslims, the highest representation was only 10.46% in 1985, when the state's Muslim population was 16.9%. So let us not delude ourselves that the BJP is rectifying historical injustices against the majority community by reducing the representation of Muslims. The argument that the BJP does not field Muslims because it cannot find "winning Muslim candidates" is just another devious one. More deceptive is the claim the BJP is duty-bound to protect the interests of Muslim women who voted for it in large numbers in the UP elections, a claim which is not factual. (A question: if the BJP is the champion of Muslim women, why does it not field them in elections?) In order to deepen democracy, it is imperative that the most marginalized and oppressed get representation. The first step then would be to recognize that there are no monolithic majorities and minorities.

The raison d'être of the Hindutva project is to deny the oppressive and hideous reality of caste and class and build a monolithic Hindu community which is deeply iniquitous in practice. Recent events from Una to Bhima Koregaon demonstrate that. Although unlike towards the Muslim, the BJP is willing to make some symbolic gestures towards Dalits. Truth is, the Muslim community is itself deeply riven by caste and class. Thus, the Ashrafs (the forward castes among Muslims, who constitute only 15-20% of the population) have been the overwhelming beneficiary of communal politics and its small gains at the expense of the Pasmandas (backward and Dalit Muslim castes). In the UP Assembly of the last two decades, as Gilles Verniers shows, the Ashrafs cornered 70% of MLA positions. The BJP is ruling 19 of the 29 states at the present, but has Muslim representatives in only three states. It has made "Congress Mukt Bharat" its rallying cry. But what is immediately manifest is the march towards a "Muslim Mukt Bharat." The terrifying denouement of this will be especially catastrophic for the Pasmanda Muslim, who is subject to the "double-bind" of religious as well as caste discrimination, and who continues to remain on the margins of the nation's socio-economic and cultural life.

A democracy will become brittle when its minorities are systematically subject to a political apartheid and denied political representation. Certainly, no democracy can be a real democracy when its oppressed castes and classes are pitted against each other on the basis of religion.

Nissim Mannathukkaren is Chair in the Department of International Development Studies at Dalhousie University in Halifax, Canada.

http://indianexpress.com/article/opinion/the-fast-disappearing-muslim-in-the-indian-republic-bjp-mla-hindu-saffron-religion-5034205/

***

India's richest 1% corner 73% of wealth generation: Survey

DAVOS: The richest 1% in India cornered 73% of the wealth generated in the country last year, a new survey showed today, presenting a worrying picture of rising income inequality. Besides, 67 crore Indians comprising the population's poorest half saw their wealth rise by just 1%, as per the survey released by the international rights group Oxfam hours before the start of the annual congregation of the rich and powerful from across the world in this resort town.

The situation appears even more grim globally, where 82% of the wealth generated last year worldwide went to the 1%, while 3.7 billion people that account for the poorest half of population saw no increase in their wealth. Last year's survey+ had showed that India's richest 1% held a huge 58% of the country's total wealth — higher than the global figure of about 50%. This year's survey also showed that the wealth of India's richest 1% increased by over Rs 20.9 lakh crore during 2017 — an amount equivalent to total budget of the central government in 2017-18, Oxfam India said. The report titled 'Reward Work, Not Wealth', Oxfam said, reveals how the global economy enables wealthy elite to accumulate vast wealth even as hundreds of millions of people struggle to survive on poverty pay. "2017 saw an unprecedented increase in the number of billionaires, at a rate of one every two days. Billionaire wealth has risen by an average of 13 per cent a year since 2010 six times faster than the wages of ordinary workers, which have risen by a yearly average of just 2 per cent," it said.

In India, it will take 941 years for a minimum wage worker in rural India to earn what the top paid executive at a leading Indian garment firm earns in a year, the study found. In the US, it takes slightly over one working day for a CEO to earn what an ordinary worker makes in a year, it added. Citing results of the global survey of 70,000 people surveyed in 10 countries, Oxfam said it demonstrates a groundswell of support for action on inequality and nearly two-thirds of all respondents think the gap between the rich and the poor needs to be urgently addressed. With Prime Minister Narendra Modi attending the WEF meeting in Davos, Oxfam India urged the Indian government to ensure that the country's economy works for everyone and not just the fortunate few. It asked the government to promote inclusive growth by encouraging labour-intensive sectors that will create more jobs; investing in agriculture; and effectively implementing the social protection schemes that exist.

Oxfam also sought sealing of the "leaking wealth bucket" by taking stringent measures against tax evasion and avoidance, imposing higher tax on super-rich and removing corporate tax breaks. The survey respondents in countries like the US, UK and India also favoured 60 per cent pay cut for CEOs. The key factors driving up rewards for shareholders and corporate bosses at the expense of workers' pay and conditions, Oxfam said, include erosion of workers' rights; excessive influence of big business over government policy- making; and the relentless corporate drive to minimise costs in order to maximise returns to shareholders.About India, it said the country added 17 new billionaires last year, taking the total number to 101. The Indian billionaires' wealth increased to over Rs 20.7 lakh crore — increasing during last year by Rs 4.89 lakh crore, an amount sufficient to finance 85 per cent of the all states' budget on health and education. It also said India's top 10 per cent of population holds 73 per cent of the wealth and 37 per cent of India's billionaires have inherited family wealth. They control 51 per cent of the total wealth of billionaires in the country.

Oxfam India CEO Nisha Agrawal said it is alarming that the benefits of economic growth in India continue to concentrate in fewer hands."The billionaire boom is not a sign of a thriving economy but a symptom of a failing economic system. Those working hard, growing food for the country, building infrastructure, working in factories are struggling to fund their child's education, buy medicines for family members and manage two meals a day. The growing divide undermines democracy and promotes corruption and cronyism," she said. The survey also showed that women workers often find themselves at the bottom of the heap and nine out of 10 billionaires are men. In India, there are only four women billionaires and three of them inherited family wealth.

"It would take around 17.5 days for the best paid executive at a top Indian garment company to earn what a minimum wage worker in rural India will earn in their lifetime (presuming 50 years at work)," Oxfam said.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indias-richest-1-corner-73-of-wealth-generation-survey/articleshow/62598222.cms

***

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 5 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 January , 2018

Wealty with difference

Dr. Udit Raj

Recently Oxfam has released a report declaring that 1% Indians own 73% wealth and also indicated that the number of Billionaires has been steady fast. On one hand wealth of rich people has increased at the rate of 13% since 2010 and on other hand increase in the wages is at 2%. The increase in the wealth of Billionaires is 20.09 lac crores which is almost equivalent to Government of India budget. What is startling in the growth of Indian Billionaires is to be seen in the context that what is their contribution to the well being of the people of the country.

What is baffling is that India ranks behind Pakistan and Bangladesh. The Inclusive Development Index (IDI) has 3 pillars; growth and development; inclusion and; intergenerational equity – sustainable stewardship of natural and financial resources. In this prospect India Ranks at 62 vis-a-vis Pakistan is at 47th place. The countries which are among top five are Lithuania, Hungary, Azerbaijan, Latvia and Poland. Those countries are even better than us in the realm of inclusive development index like Mali, Uganda, Rwanda, Burundi, Ghana, Ukraine, Serbia, Philippines, Indonesia, Iran, Macedonia, Mexico, Thailand and Malaysia etc. If GDP is the indication of sum total pf production of goods and services then inclusive development is to well being of common people and better future.

The classes of rich and poor exist in almost all countries, but our rich and wealthy persons contribution is not the same as of other countries. No doubt growth in the wealth in any manner of any individual and corporate house helps the economy to grow but question is that whether these people intend to do some welfare activities or not. Rich people and corporate houses in the Europe and America have major contribution in invention and the development of technology. On the contrary in India this onus is completely on the shoulder of government. About 95% of the technology employed by us are invented outside of the country. We don't find any example in India that of Harvard University, Oxford and Yale University which were initiated and developed by private sector.

The community which is constantly engaged for the care of 4th generation, it is not possible that that stock of population will ever be available for others. In developed countries sons and daughters and grand children are not dependent on parents

once they attain the age of 14 and 16 years. No matter how much rich the family is, the children attaining the age of about 16 become independent to support their needs. One can imagine that the worries and protection of two generation are enough to consume the maximum wealth and fourth generation that is to find the place in heaven or buy the favour form gods and goddesses a huge amount of money is spent in rituals, offerings etc. Rituals and religious activities can be performed without being extravagant and wealth saved can be utilised for health, education and employment. There are people who start accumulating the wealth for marriage since the birth of their daughter. The huge expenditure is involved in performance of engagements and marriages etc and it is one time expenditure and there is no chance of getting it multiplied as it happens in case of education, health, business and other commercial activities. Not only common people get the employment, but employment is also created.

Quite a few wealthy people do not hesitate to avoid the taxes and accumulate black money. A new trend has emerged very fast that our millionaires and billionaires are parking their money in other countries and they always try to build houses in properties in other countries. A huge amount of wealth and money is stashed out of India. Hardly we can see around a few philanthropists from wealthy class who donate without attachment. Billionaires in developed countries mostly part away their wealth and income by the end of their life and we have examples like Bill Gates and Warren Buffett. Bill Gates has announced to leave very meagre amount to their children. Corporate houses of other countries differ from ours that they earn profit by inventing the technology and doing researches like Bill Gates invented Windows Software, Zucker Berg invented Facebook and Steve Jobs invented Apple products. Ours is the only society where tall claims are always made that wealth is root cause of attachment, selfishness and craving but in action the position is quite contrary. It is very sad that the government solely shoulders the responsibility of social development. If a private sector has contribution in production of wealth, in giving job opportunities but that is not intentional, rather it is by default. One does not understand why there is so much craving for the wealth knowing the fact that no one departs the world with wealth.

***

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar